

No.J.11011/4/2015-Admn.
Government of India
Ministry of Water Resources, RD & GR

Shram Shakti Bhawan, Rafi Marg
New Delhi, dated 22nd December, 2015

CIRCULAR

In compliance with e-Gov initiatives of Govt. of India, it has been decided to implement the e-Leave Management System in the Ministry of Water Resources, RD & GR w.e.f 01.01.2016. As such, w.e.f.01.01.2016, all kinds of leave (EL/CL/CCL/RH etc.) shall be applied online and forwarded to Administration Section after being recommended by the concerned Reporting Officer. Leave applied through other modes shall not be entertained and accepted henceforth.

2. NIC has already imparted Training on the e-leave Management System and in case of any difficulty, NIC may be contacted.

Subhangi J. 22/12/15
(Subhangi J.)
Section Officer (Admn.)
Tel. No. 23710333

To

1. Office of the Hon'ble Minister of Water Resource, RD & GR.
2. Office of the Hon'ble Minister of State for Water Resources, RD & GR.
3. PPS to the Secretary, Ministry of Water Resource, RD & GR.
4. PPS to the Spl. Secretary, Ministry of Water Resource, RD & GR.
5. Sr. PPS to AS & MD (NWM)
6. PPS to Joint Secretary (Admn.)/ PS to JS & FA/ PS to Joint Secy(PP)/PS to Adviser (Eco.)/ PS to Adv. (C&M)/ PS to JS (Pen. River & Parl.)/PS to Dir. (NWM)/ PS to Dir. (NMCG) / PS to Dy. Secy. (NMCG).
7. All officers to the Ministry of Water Resources, RD & GR.
8. All Officials to the Ministry of Water Resources, RD & GR.
9. Director (Tech.). NIC, Ministry of Water Resources, RD & GR for uploading on the Intranet.

मिसिल सं. जे. 11011/4/2015-प्रशा.
भारत सरकार
जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय

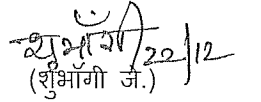
श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग
नई दिल्ली, दिनांक 22.12.2015

परिपत्र

ई ऑफिस के अंतर्गत, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय में e-Leave Management System लागू किया गया है। तदनुसार सक्षम पदाधिकारी ने निर्णय लिया है कि मंत्रालय के सभी संबंधित अधिकारियों व कर्मचारियों को दिनांक 01/01/2016 से सभी प्रकार की छुट्टियों का आवेदन ऑनलाइन करेंगे।

2. सभी प्रकार के अवकाश (अर्जित अवकाश/आकस्मिक अवकाश/प्रतिपूरक अवकाश /वैकल्पिक अवकाश) अपने पर्यवेक्षण अधिकारी से ऑनलाइन अनुमोदित करवाकर प्रशासन अनुभाग को अग्रेषित करें। ऑनलाइन छुट्टियों के बारे में मंत्रालय के राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (NIC) द्वारा सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है।

3. किसी अधिकारी/ कर्मचारी को ऑनलाइन आवेदन करने में किसी भी प्रकार की असुविधा होती है तो मंत्रालय के राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (NIC) को संपर्क कर सकते हैं तथा निर्धारित फार्म में भरकर दी गई छुट्टी के आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।


(शुभांगी ज.)

अनुभाग अधिकारी (प्रशासन)
दूरभाष नम्बर 23710333

प्रति सूचनार्थः

1. जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्री जी के निजी सचिव को सूचनार्थ ।
2. जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण राज्य मंत्री जी के निजी सचिव को सूचनार्थ ।
3. सचिव, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय के प्रधान निजी सचिव को सूचनार्थ ।
4. विशेष सचिव, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय के प्रधान निजी सचिव को सूचनार्थ ।
5. अपर सचिव एवं प्रबंध निदेशक के सीनियर प्रधान निजी सचिव (एन.डब्ल्यू.एम.)
6. संयुक्त सचिव(प्रशा.)/ संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार/संयुक्त सचिव(पी.पी.) /आर्थिक सलाहकार के निजी सचिव/ सलाहकार(सी.एण्ड एम.) के निजी सचिव/संयुक्त सचिव (पेन रिवर एव संसद) के निजी सचिव/ निदेशक (एन.डब्ल्यू.एम.) के निजी सचिव/ निदेशक(एन.एम.सी.जी.) के निजी सचिव/ उप सचिव (एन.एम.सी.जी.) के निजी सचिव को सूचनार्थ ।
7. जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय के समस्त अधिकारी।
8. जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय के सभी कर्मचारी ।
9. तकनीकी निदेशक, एनआईसी, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय। मंत्रालय के इन्ट्रानेट पर इसे अपलोड करवाएं ।